(d) Statistics regarding the amount of money blocked because of litigation are not separately maintained in the Income-tax Department. However, the Income-tax demand stayed by various Courts and authorities on account of litigation as on 31.3.90 was Rs. 915 Crores

(e) So far as appeals before Dy. Commissioner of Income-tax (Appeals) and Commissioner of Income-tax (Appeals) are concerned, they are required to dispose of High Demand Appeals on priority basis. Weightage is also given for disposal of these appeals in assessing the performance of Commissioner of Income-tax (Appeals) From the Government side, cases are taken to Income-tax Appellate Tribunal, High Courts and Supreme Court very selectively Further, vigorous steps have been taken to get them settled early. Requests are made for out-of-turn hearings in important and high demand cases. The High Courts have been requested for constitution of tax benches and cases are bunched up issue-wise so that they are disposed of expeditiously. Further, Income-tax Department has also moved the Supreme Court from time to time to centralise numerous cases pending in various High Courts under Article 139 of the Constitution

संसद सदस्यों और मंत्रियों को सीमाशुल्क विभाग की दुकानों (कस्टम शाप्स) से शस्त्रों की खरीद की अनुमति

966. **डा. अबरार अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संसद सदस्यों, मंत्रियों, अधिकारियों और अन्य लोगों की संख्या क्या है जिन्हें नवम्बर, 1990, तक पिछले दो वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय ने सीमाशुल्क विभाग की दुकानों से शस्त्रास्त्रों की खरीद के लिए अनुमोदन पत्र प्रदान किये है और क्या इस संबंध में कोई नियम है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपर्युक्त श्रेणियों में किसी व्यक्ति को उनके मंत्रालय द्वारा विगत में भी एक से अधिक हथियारों की खरीद के लिए संस्वीकृति पत्र प्रदान किया गया था, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) सीमाशुल्क विभाग की दुकान से एक संसद सदस्य को तीन शस्त्रों की खरीद की अनुमति न दिये जाने के लिए कारण क्या है, जबकि उन्हें एक ही लाइसेंस पर तीन हथियार रखने और खरीदने की अनुमति प्राप्त है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री और विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) अक्तूबर, 1987 से अप्रतिबंधित वोर के जब्तशुदा हथियारों को विभागीय प्रयोग के लिए रखा जा रहा है और इन्हें विभागीय अधिकारियों को नहीं बेचा जा रहा है। तथापि, विभागीय आवश्यकताओं के लिए आवश्यक न होने पर यदि कोई हथियार शेष बच जाता है तो इनके लिए सामान्यत अनुरोध प्राप्त होने पर पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर संसद सदस्यों को देने का प्रस्ताव किया जाता है।

अप्रतिबंधित अग्नेयास्त्रों की कुल संख्या, जिन्हें अक्तूबर, 1987 से नवम्बर, 1990 तक की अवधि के दौरान संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों को बेचने के लिए प्रस्ताव किया गया था, नीचे सारणी में दी गई है —

उप-राज्यपाल	1
एम०एल ए /एम एन सी	4
मुख्य मंत्री	1
संसद सदस्य . . .	96
अन्य . . .	3

एक दूसरा हथियार केवल एक संसद सदस्य के मामले में ही आबंटित किया गया था। सीमा शुल्क विभाग के

पास जब्तशुदा हथियार सीमित मात्रा में उपलब्ध होने और विभागीय उपयोग के लिए उनकी आवश्यकता होने के कारण सामान्यतया प्रत्येक आबटती को केवल एक हथियार ही बेचा जाता है ।

सीमा शुल्क विभाग की दुकान (कस्टम शाप) के अधिकारियों द्वारा खरीद के लिए बहुत कम सामान दिखाया जाना

967. डा. अबरार अहमद : क्या वित्त मत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या सच है कि जब कोई ससद सदस्य सीमा शुल्क विभाग की दुकान पर सामान खरीदने के लिये जाता है तो वहा के अधिकारी और कर्मचारी उन्हे बहुत ही कम सामान दिखाते है ;

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) उत्तर "ना" मे हो तो क्या इस मामले की कोई जाच किये जाने का प्रस्ताव है ,

(ग) क्या उन्हे इस तथ्य की जानकारी है कि दिल्ली स्थित सीमा शुल्क विभाग की दुकान के अधिकारी और कर्मचारी अपने चहेते लोगो को बहुत ही कम मूल्य पर बहुत सी अच्छी—अच्छी वस्तुएं उपलब्ध कराते है , और

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली स्थित सीमा शुल्क विभाग की दुकान की कुल बिक्री कितनी रही है और बेची गई वस्तुओ का ब्यौरा क्या है तथा उनके मूल्य क्या है और उन व्यक्तियों के नाम क्या है जिन्होने इन वस्तुओ को खरीदा है तथा सामान का मूल्याकन करने वाले प्रधिकारी का नाम क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री और विदेश मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) अभिगृहीत/जब्तशुदा वस्तुओ की थोक बिक्री अनुमोदित सहकारी सोसायटियो और राज्य सिविल आपूर्ति निगमों/राज्य सहकारी सघो को की जाती है जो उसे आगे सहकारी सोसायटियो, सुपर बाजारों, सहकारी भण्डारो, आदि के माध्यम से उपभोक्ताओ को बेचने के लिए सप्लाई करते है । इस प्रकार की वस्तुओ को सेना/पुलिस/पैरा मिलिटरी कैन्टीनो को बेचने के लिए भी भेजा जाता है । इस प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओ की अल्प मात्रा मे वास्तविक उपभोक्ताओ को सीमाशुल्क की खुदरा दुकानो के माध्यम से "जो पहले आवे सो पहले पावे" सिद्धान्त के आधार पर भी बेचा जाता है । खुदरा दुकान पर जो कुछ वस्तुए उपलब्ध होती है उन्हे प्रदर्शित कर दिया जाता है और महत्वपूर्ण मदो का उल्लेख नोटिस बोर्ड पर कर दिया जाता है और आम जनता तथा ससद सदस्य, इसे खरीद सकते है ।

(ग) जब्तशुदा उपभोक्ता वस्तुओं को खुदरा दुकानो के जरिए बम्बई कस्टम हाउस की सयुक्त मल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यो पर बेचा जाता है और जहा इस प्रकार के निर्धारित मूल्य नही होते हैं, वहा माल को किसी ऐसी स्थानीय मूल्य निर्धारण समिति द्वारा तय किए गए मूल्यो पर बेचा जाता है जिसमे सदस्य के रूप मे वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होते है । खुदरा काउटरो पर बिक्री करने वाले अधिकारी वस्तुओ का मूल्य निर्धारित नही करते है ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

Seizure of Narcotics and Other Goods

968. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what are the details of narcotic drugs and other goods seized by the customs authorities during 1989 and 1990 so far indicating the quantity and estimated value thereof particularly in Rajasthan sector on Indo-Pak border;

(b) what checks Government are exercising to see that drugs like heroin etc are completely destroyed by customs or concerned authorities; and